बिहार सरकार
न्यायालय आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन),
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।
फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com
Website : scdisabilities.org

आदेश

(ऑनलाईन न्यायालय दिव्यांगजन बिहार राज्य के सभी जिलों दि0-24.04.2021)

पत्रांक-सं0सं0-08/रा0आ0नि0-परिवाद(कोविड19)-01/2020-441/2021 आ0नि0को0 दिनांक-24 अप्रैल'2021

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सम्बन्धित जिला पदाधिकारी-
सह-जिला अपर आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन),

विषय :- **कोविड19 (COVID-19) के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश के तहत दिनांक-24.04.2021 (शनिवार) को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए ऑनलाईन लोक अदालत के तहत सुनवाई के सम्बन्ध में।**

संदर्भ :- **(1) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016**
(2) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा कोविड19 की वजह से उत्पन्न आपातकालीन स्थितियों के दौरान दिव्यांगजनों के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए जारी व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश।
(3) इस कार्यालय का पत्र सं0-419/आ0नि0को0 दिनांक-13.04.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके अन्तर्गत कोविड19 (COVID-19) के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश के तहत बिहार राज्य के सभी जिलों के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए दिनांक-24.04.2021 को ऑनलाईन लोक अदालत आयोजित करने के विषय में सूचित किया गया था। कोविड19 (COVID-19) के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश से सम्बन्धित है, का भी संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिहार राज्य के सभी जिलों के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से दिनांक-24.04.2021 को दिव्यांगजनों के लिए सम्पादित ऑनलाईन लोक अदालत के सम्बन्ध में निम्न तथ्य उल्लेखनीय है :-

(1) ऑनलाईन लोक अदालत में सुनवाई हेतु दिव्यांगजनों के जीवनयापन संरक्षण संबंधी उन्हीं मामलों को विशेष रूप से शामिल करने का निर्देश दिया गया था, जो कोविड19 (COVID-19) के संक्रमण को रोकने हेतु वर्तमान में घोषित लॉकडाउन की वजह से विशेषतया दिव्यांगजनों के समक्ष उत्पन्न हुई है।

(2) ऑनलाईन अदालत की सुनवाई के दौरान बिहार राज्य के सभी जिलों के सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग भी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे।

(3) दिव्यांगजनों की अधिकांश शिकायते राज्य सरकार की घोषणा अनुरूप उनके अग्रिम पेंशन भुगतान, अतिरिक्त सहायता राशि भुगतान, राशन व राशन कार्ड निर्गमन तथा लॉकडाउन के दौरान जीविकोपार्जन के साधन इत्यादित से सम्बन्धित प्राप्त हुई।

(4) प्राप्त मामलों की संख्या एवं प्रकृति व सुनवाई के दौरान प्रस्तुत तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि कोविड19 (COVID-19) के कारण उत्पन्न आपदा व घोषित लॉकडाउन की स्थिति में दिव्यांगजनों के सुरक्षा एवं संरक्षा उपयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जिलों के स्तर पर मिश्रित स्थितियाँ है।

(5) जिलों में विविध विषयों में क्षेत्रीय कार्यालयों स्तर पर अभी भी काफी कुछ किया जाना अपेक्षित है।

(6) जिले के सम्बन्ध में पंचायत, प्रखण्ड, अनुमण्डल व जिला स्तर पर दिव्यांगजनों की सूची दिव्यांगता प्रकृति व प्रतिशत सहित, जिससे कि विशेष सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांगजन चिन्हित किए जा सकें, का संधारण अत्यावश्यक है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी निदेशित किया गया है।

कृ0पृ0उ0.....

24/04/21

Scanned with CamScanner

इस आपदा स्थिति में दिव्यांगजनों को उनकी शारीरिक, संवेदी और ज्ञान संबंधी सीमाओं के कारण प्रभावित होने की अपेक्षाकृत अधिक संभाविता के आलोक में उनकी सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करना हमारा सामुहिक उत्तरदायित्व है। इस आलोक में आपके स्तर से निम्न कारवाई किये जाने का अनुरोध है :-

(क) सुनवाई किये गये मामलों की जिलावार सूची संलग्न है, जिसमें शिकायतकर्त्ता का परिचय व सम्पर्क विवरण, दिव्यांगता प्रकृति व प्रतिशत, शिकायत व माँगी जा रही सुविधा इत्यादि विवरण अंकित है। अनुरोध है कि शिकायत के विषय से सम्बन्धित क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दिव्यांग शिकायतकर्त्ताओं से सम्पर्क कर कोविड19 (COVID-19) के कारण उत्पन्न इस आपातकालीन स्थिति में उन्हें अपेक्षित सुविधा प्रदान कर उनकी शिकायत का निष्पादन पत्र प्राप्ति के पन्द्रह (15) दिनों के भीतर करने हेतु निदेशित करने एवं इस सम्बन्ध में इस कार्यालय को भी अवगत कराने की कृपा की जाय।

(ख) इस सम्बन्ध में इस कार्यालय को प्रत्येक परिवाद को प्रदत्त परिवाद संख्या द्वारा प्रतिवेदित किया जाना है। अनुरोध है कि जिले से सम्बद्ध विविध परिवादों का समेकित प्रतिवेदन अपने स्तर से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

(ग) लॉकडाउन के दौरान विविध माध्यमों यथा : ई-मेल, ऑनलाईन लॉगइन, व्हाटस्ऐप तथा डाक से प्राप्त शिकायतों को जिलावार सूचीबद्ध करते हुए अग्रेतर भी प्रेषित किया जायेगा। उन शिकायतों के निष्पादन हेतु भी बिन्दु (क) एवं (ख) में वर्णित प्रक्रियानुरूप कार्रवाई करने हेतु सम्बन्धित क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाय।

(ग) सभी जिलों के सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग को विशेषकर दिव्यांगजनों के सम्बन्ध में इस आपदा स्थिति व इससे निपटने हेतु किए गए उपायों एवं उनकी प्रभावोत्पादकता इत्यादि से सम्बन्धित एक स्टडी रिपोर्ट भी इस कार्यालय को आपके माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु प्रेरित करने की कृपा की जाय। ऐसी स्टडी रिपोर्टे भविष्य की विषम स्थितियों के लिए मार्गदर्शक नीतियाँ/कार्यक्रम तय करने में सहायता प्रदान करेंगी।

(घ) इस आपदा स्थिति में दिव्यांगजनों की सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु बेहतर कार्यान्वयन करने वाले क्षेत्रीय पदाधिकारियों को इस कार्यालय द्वारा प्रशंसित किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-80 एवं 82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकारों व उपलब्ध सुरक्षापायों से सम्बन्धित मामलें में समुचित प्राधिकारियों को निदेशित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है एवं इसके निर्वहण के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय के समरूप शक्तियाँ प्रदान की गई है। साथ ही भारत सरकार द्वारा कोविड19 (COVID-19) से उत्पन्न आपदा स्थिति में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए जारी व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देशों एवं इस संदर्भ में मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य दिव्यांगजन आयुक्तों को प्रेषित पत्र के अन्तर्गत इस आपदा स्थिति में दिव्यांगजनों को उनकी शारीरिक, संवेदी और ज्ञान संबंधी सीमाओं के कारण प्रभावित होने की अपेक्षाकृत अधिक संभाविता के आलोक में उनकी सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य दिव्यांगजन आयुक्तों को संकट की अवधि के दौरान दिव्यांगता के विशिष्ट मामलों को हल करने के लिए प्रभार सौंपा गया है।

तदनुरूप जिला विशेष के सम्बन्ध में उपरोक्त वर्णित सूची में शामिल दिव्यांगजनों के शिकायतों के निश्चित समयावधि के भीतर निष्पादन नहीं होने की स्थिति में सम्बन्धित मामलों में इस न्यायालय के अन्तर्गत वाद गठित करते हुए न्यायालीय प्रक्रिया के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

अपेक्षा है कि इस आपदा स्थिति में दिव्यांगजनों के सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करने के सामुहिक उत्तरदायित्व में आपका सहयोग प्राप्त होगा।

विश्वासभाजन

30.04.2021

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

अनु0-यथोक्त।

अनुलग्नक-1 संलग्न।

कृ0पृ030.....

Scanned with CamScanner